

आय को काट देना ताकि कर के भुगतान के पश्चात् सभी की आय एक समान हो जाय” (“Lopping off the tops of all income above the minimum income and having every body, after taxation, with equal income.”) प्रगतिशील कर प्रणाली का उत्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण एजर्वर्थ तथा पीगू दोनों ने इस नियम में थोड़ा संशोधन किया है।

समाजवादी विचारधारा के अर्थशास्त्रियों को करदान योग्यता सिद्धान्त में प्रगतिशील कर प्रणाली तथा आय के पुनर्वितरण का एक महत्वपूर्ण साधन मिला। एडॉल्फ वैगनर (Adolph Wagner) ने इसी धारणा को स्वीकार किया तथा करारोपण के सिर्फ वित्तीय (purely fiscal) तथा सामाजिक कल्याण (social welfare) सिद्धान्तों में अन्तर किया। केवल वित्तीय सिद्धान्त की व्याख्या इस मान्यता के अन्तर्गत की जाती है कि आय का मौजूदा वितरण उचित है। अतः इस वितरण को कायम रखना है और आनुपातिक कर प्रणाली लागू करनी चाहिए। सामाजिक कल्याण सिद्धान्त के अन्तर्गत यह मान लिया जाता है कि बाजार यन्त्र तथा सम्पत्ति के कानून के आधार पर निर्धारित आय का वितरण अनुचित है। अतः इसमें सुधार की जरूरत है। करदान के कानून के आधार पर निर्धारित आय का वितरण अनुचित है। अतः इसमें सुधार की जरूरत है। करदान योग्यता के अनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करनी चाहिए तथा वह समान त्याग पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन वैगनर ने कहा कि समान त्याग का अर्थ क्या होता है निरपेक्ष या आनुपातिक।

### 11.3.3 अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage)

डॉल्टन (Dalton) का कहना है कि यदि अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र की शाखा के रूप में लोक वित्त की विवेचना करनी है तो इसकी जड़ में एक मौलिक सिद्धान्त के प्रतिपादन की आवश्यकता है। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage) कह सकते हैं।

इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करके वे अनेक पुरानी धारणाओं की गलतियों को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर सके। जे. बी. से ने कहा था कि “वित्त की सर्वोत्तम योजना वह है जहां लोक व्यय न्यूनतम रहता है तथा सर्वोत्तम कर वह है जिसकी मात्रा न्यूनतम रहती है।”<sup>1</sup> यह वह जमाना था जब प्रत्येक कर को बुरा समझा जाता था (“Every tax is an evil”)। इस कथन का यह असर हुआ कि कर तथा व्यय पर गम्भीरता से विचार करने के पूर्व ही लोग पूर्वाग्रह (Bias) की चपेट में आ गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार न तो यह कहना सही है कि सभी लोक व्यय लाभदायक होते हैं और न ही यह उक्ति ठीक समझी जा सकती है कि प्रत्यक्ष कर बुरा होता है। शराब पर कर लगाने से इसकी कीमत बढ़ जाती है तथा उपभोग कम हो जाता है। ऐसा कर निःसन्देह अच्छा कहा जायेगा। अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति एक पेनी खर्च करके भरपूर पी सकता था तथा दो पेन्स खर्च करके होश-हवाश खो सकता था (“A man could get drunk for a penny and dead drunk for two pence.”)। यह उचित स्थिति नहीं थी। अतः शराब पर कर बुरा नहीं माना जा सकता। उसी तरह यह सही नहीं है कि कोई भी लोक व्यय अच्छा नहीं होता। अनावश्यक युद्धों पर व्यय स्पष्टतः बुरा होता है। किन्तु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय ऐसा नहीं समझा जा सकता है। इसलिए तदनुकूल लोक व्यय के लाभ पर ध्यान दिए विना कर के बोझ की बात करना अनुचित है।

ऐसी बात करना कि सभी कर बुरे होते हैं उस व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है जो यह मानती है कि राज्य कोई उपयोगी काम नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपरोक्त धारणा का सम्बन्ध व्यय के ‘उत्पादक’ एवं ‘अनुत्पादक’ (Productive and unproductive) के मध्य विभाजन से है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, आदि शुरू के क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि अधिकांश निजी व्यय जो कर के कारण नहीं हो पाते हैं, उत्पादक होते हैं जबकि अधिकांश लोक व्यय जो कर के कारण सम्भव हो पाते हैं, अनुत्पादक होते हैं। यह गलत धारणा है। शराब पर किया गया निजी व्यय शिक्षा पर किए गए लोक व्यय की तुलना में अधिक उत्पादक नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लोक वित्त की किसी भी क्रिया के सम्बन्ध में तब तक किसी विचार का व्यक्त करना उचित नहीं समझा जा सकता जब तक उसके प्रभावों की जांच न कर ली जाये।


<sup>1</sup> “The very best of all plans of finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount.” — J. B. Say

पीगू, डाल्टन, आदि अर्थशास्त्रियों ने सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग करके निजी तथा लोक वस्तुओं के मध्य आवंटन की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार कोई भी लोक वस्तु या लोक व्यय के उत्पादक होने या नहीं होने की जांच की केवल एक कसौटी है। यदि इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो इसे उत्पादक माना जायेगा, अन्यथा नहीं। यही अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का आधार है।

1888 में शैफ़ल (Schaffle) ने लोक तथा निजी वस्तुओं के मध्य आवंटन के लिए आनुपातिक सन्तोष का सिद्धान्त (Principle of Proportional Satisfaction) प्रतिपादित किया। इस सिद्धान्त में दिए गए तर्क को आधार बनाकर कोई पचास वर्षों के पश्चात् पहले पीगू और फिर डाल्टन ने बजट नीति के द्वारा सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया। पहला सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक दिशा में लोक व्यय का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए ताकि सभी दिशाओं में व्यय से समान सीमान्त लाभ मिले। दूसरे सिद्धान्त का सम्बन्ध बजट के आकार तथा इससे सम्बन्धित निजी तथा लोक वस्तुओं के मध्य आवंटन की समस्या के साथ है। लोक व्यय के परिमाण में तब तक वृद्धि होनी चाहिए जब तक कर के भुगतान का सीमान्त त्याग लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता के बराबर न हो जाये। इस सिद्धान्त को पीगू ने अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धान्त (Principle of Maximum Aggregate Welfare) तथा मसग्रेव ने अधिकतम कल्याण सिद्धान्त (Maximum Welfare Principle) कहा। यही डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त है।

डाल्टन का कहना है कि लोक वित्त की क्रियाओं से क्रय शक्ति का हस्तान्तरण होता है। कर द्वारा यह हस्तान्तरण व्यक्तियों से राज्य को होता है। लोक व्यय द्वारा यह हस्तान्तरण राज्य से व्यक्तियों के पास होता है। लोक वित्त की इन क्रियाओं से राष्ट्रीय सम्पत्ति के परिमाण तथा प्रकृति में परिवर्तन होने के साथ-साथ व्यक्तियों तथा सामाजिक वर्गों के मध्य वितरण में परिवर्तन होता है। अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या इन परिवर्तनों के प्रभाव सामाजिक दृष्टि से लाभदायक हैं? यदि हैं तो लोक वित्त की क्रियाएं उचित हैं, यदि नहीं तो नहीं। लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है।<sup>1</sup>

इस सिद्धान्त की व्याख्या चित्र 11.5 के माध्यम से की जा सकती है। चित्र में लोक व्यय की मात्रा को क्षेत्रिज रेखा पर तथा सीमान्त उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को ऊर्ध्व रेखा पर दिखाया गया है। OX



चित्र 11.5

अनुपयोगिता MB के बराबर है। यदि लोक व्यय की मात्रा OM से कम या अधिक होती है तो इसका अर्थ होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण में कभी क्योंकि केवल OM लोक व्यय पर ही सामाजिक लाभ अधिकतम है। मान लें कि लोक व्यय की मात्रा ON है। इस स्थिति में व्यय की सीमान्त उपयोगिता CN है जो इसी

रेखा के ऊपर का धनात्मक (+) भाग उपयोगिता की तथा निचला ऋणात्मक (-) भाग अनुपयोगिता को दर्शाता है, ee वक्र लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता को प्रदर्शित करता है जो लोक व्यय में वृद्धि के साथ, हासमान सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार, घटती जाती है। tt वक्र कर के भुगतान की अनुपयोगिता को दर्शाता है। कर के परिमाण में वृद्धि के साथ-साथ कर-भुगतान की अनुपयोगिता घटती जाती है। ee वक्र से tt को घटाकर nn वक्र प्राप्त किया गया है। यह nn वक्र निवल लाभ (net benefit) को दर्शाता है जो लोक व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त होता है।

अधिकतम लोक व्यय OM है जहां व्यय की सीमान्त उपयोगिता AM कर की सीमान्त होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण में कभी क्योंकि केवल OM लोक व्यय पर ही सामाजिक लाभ अधिकतम है। मान लें कि लोक व्यय की मात्रा ON है। इस स्थिति में व्यय की सीमान्त उपयोगिता CN है जो इसी

<sup>1</sup> "The best system of public finance is that which secure the maximum social advantage from the operations which it conducts." —H. Dalton

मात्रा अर्थात् ON कर राजस्व की अनुपयोगिता ND से CP मात्रा में अधिक है। इस स्थिति में लोक व्यय वृद्धि से सामाजिक लाभ में वृद्धि होगी। यदि लोक व्यय की मात्रा OQ हो तो व्यय में हास होने से ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। कारण यह है कि OQ लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता मात्रा EQ है जबकि इसी मात्रा में कर राजस्व की वसूली की सीमान्त अनुपयोगिता QF है जो व्यय की सीमान्त उपयोगिता EQ से RQ मात्रा में अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण को नीचे सारणी के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :

लोक व्यय की मात्रा	लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता	करों की सीमान्त अनुपयोगिता	लोक व्यय की स्थिति
ON	CN	>	DN
OM	AM	=	BM
OQ	EQ	<	FQ